

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: एफ27(667)जविप्रा/तसनिअ/डी-986

दिनांक: 14/9/10

कार्यालय आदेश

जयपुर क्षेत्र में कम होते भू-जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए जनसाधारण/प्राइवेट/सरकारी संस्थाओं से परामर्श/सहयोग एवं जल जाग्रति द्वारा वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण/परामर्श हेतु पूर्व में समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक डी-344 दिनांक 15.04.2010 द्वारा पंजीकृत किये गये 13 एजेन्सियों (जलदूत) एवं समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक डी-426 दिनांक 05.05.2010 द्वारा पंजीकृत किये गये 2 एजेन्सियों (जलदूत) एवं समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक डी-670 दिनांक 30.06.2010 द्वारा पंजीकृत किये गये 6 एजेन्सियों (जलदूत) के साथ-साथ निम्नांकित 3 एजेन्सियों (जलदूत) को 12 माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से निम्न शर्तों पर पंजीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम व पता	टेलीफोन नं. /मोबाईल नं.
1.	टीम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि. ई-65, वितरजन, मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001	9414071118, 9413109944
2.	सेन्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड कन्सल्टेंट सोसाइटी ग्राम/पोस्ट-थली, तह.-चाकसू-303901 जिला- जयपुर	01429-295370, 9414446611, 9414203302, 9328846611
3.	गायत्री एन्व्हाइजेंज 176/14, प्रताप नगर जयपुर	09252036218, 09928069155

यह आदेश आयुक्त, जविप्रा, जयपुर से पुष्ट है।

शर्त:-

- उक्त एजेन्सियां जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण/परामर्श के लिए पंजीकृत की गई है।
- उक्त पंजीकृत एजेन्सियों द्वारा वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के संबंध में तकनीकी ज्ञान का जनता में प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
- इन एजेन्सियों द्वारा जनता में आवश्यकतानुसार वाटर हार्वैस्टिंग कार्य की कन्सल्टेंसी दी जावेगी।
- उक्त एजेन्सियां जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति/संस्था/कॉलोनी इत्यादि में वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्मित किये जाने हेतु अधिकृत है।
- उक्त एजेन्सियों द्वारा वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर नहीं किया जावेगा।
- वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण की दरों का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जावेगा।
- यदि उक्त पंजीकृत एजेन्सियों द्वारा इस पंजीयन का दुरुपयोग किया जाना पाया जाता है तो एजेन्सी की धरोहर राशि जब्त करते हुए पंजीयन निरस्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- एजेन्सियों द्वारा वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण संबंधी दी गई सूचना किसी भी प्रकार से गुप्त पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पंजीयन निरस्त करते हुए कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
- उक्त एजेन्सियों द्वारा निर्मित किये जाने वाले विभिन्न वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर की लिखित सूचना प्राधिकरण में संबंधित जोन उपायुक्त को देना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक प्रति अधिशाषी अभियंता-पीएचई-प्रथम (नोडल अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण को देना अनिवार्य होगा।

—sd—

तकनीकी सहायक, निदेशक अभियांत्रिकी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-

13. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14. निजी सचिव, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
1. निदेशक अभियांत्रिकी/परियोजना/वित्त/आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता - अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट, जविप्रा, जयपुर
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, जविप्रा, जयपुर
4. विशेषाधिकारी (वित्त), जविप्रा, जयपुर
5. समस्त अधिशाषी अभियंता, जविप्रा, जयपुर
6. वरिष्ठ उद्यानविज्ञ, जविप्रा, जयपुर
7. समस्त उपायुक्त जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत सूचना संबंधित मुख्याधिकारी की फाइल में लगाना सुनिश्चित करें।
8. अधिशाषी अभियंता-पीएचई-प्रथम जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्यों की सूचना संकलित व संधारित करते हुये उनके द्वारा किये गये कार्य की सूचना संबंधित एजेन्सी के लेजर में दर्ज करें।
9. उप निदेशक (व्यय एवं वजट) जयपुर, जयपुर
10. संबंधित एजेन्सी टीम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.

तकनीकी सहायक, निदेशक अभियांत्रिकी
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर